ANNEXURE-1

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

......बी0आर0बी0माडॅन स्कूल बदायूँ ।
.......नगरक्षेत्र बदायूँ ।........

पत्रांक:ब0स0/ 7698 /2001-2002 दिनांक

विषय:-- प्राथमिक विद्यालय को नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

जिला मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर(कक्षा 1 से 5तक)को अस्थायी मान्यता दिनांक 1-7-2001 से निम्नांकित प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैं ।

1- विद्यालय भवन निर्धारित माप का निर्मित कराया जाये ।
2-- समस्त अध्यापक प्रशिक्षित रक्खे जाय ।
3- विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढाया जाय ।
4- विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाय ।
5-- अनियमित कक्षाऐं न चलायी जाय ।
6- विद्यालय समिति के पंजीकरण का नवीनीकरण निर्धारित अवधि के उपरान्त तुरन्त करा लिया जाय ।
7- समय-समय पर निर्गत विभागीय आदेशों का पूर्णत:पालन किया जाय ।

उक्त प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा । विभागीय नियमों का पालन न करने एंव किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विद्यालय की अस्थायी मान्यता किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं ।

भवदीय

31.01.02

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ ।

पृष्ठांकन संख्या:ब0स0/ /2001-2002 दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ ।
2- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी बदायूँ ।
3- जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक अधिकारी एंव जिला पिछडा वर्ग अधिकारी बदायूँ ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ ।

B.R.B. Model School Principal Budaun

B.R.B. MODEL SCHOOL
Manager

FOR B.R.B. Model School
Manager

B.R.B. Model School Principal Budaun

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ

सेवा में,

प्रबन्धक

बी.आर.बी. माडल जू.हा. स्कूल बदायूँ

बरेली रोड बदायूँ ।

पत्रांक: शि०स०/ 146-52 /2003-04 दिनाँक: 20.4.2004

विषय: अशासकीय उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) विद्यालय की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-646/15-06-97-18(7)/89 दिनाँक 13 अगस्त, 1997 में दिये गये प्रॉविधानों के अन्तर्गत निरीक्षण अधिकारी की जाँच आख्या एवं संस्तुति तथा मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की अस्थाई नवीन मान्यता, आदेश निर्गत होने की तिथि से छात्र/छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है। शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद अनुमन्य हेंगे :-

1- प्रधानाध्यापक - एक पद 2- सहायक अध्यापक - 4 पद(त्रिभाषा-एक पद, विज्ञान-एक पद)
3- लिपिक - एक पद 4- चतुर्थ श्रेणी - एक पद(कुल सात पद)

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/विज्ञान/प्रसार/क्राफ्ट/शारीरिक शिक्षा के अध्यापक सम्मिलित हेंगे। **उक्त पदों पर नियुक्ति विभागीय नियमानुसार जुलाई, 2004 तक पूर्ण करते हुए इस कार्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।**

प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम बेजेज ऐक्ट के तहत चैक द्वारा भुगतान करना होगा। शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये आप स्वंय उत्तरदायी हेंगे।

भवदीय

B.R.B. Model School Principal Budaun

FOR B.R.B. Modle School Manager

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ

पृ०सं०: शि०स०/ /2003-04 दिनाँक: उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), ततीय मण्डल, बरेली।